भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1493

उत्तर देने की तारीख 05.12.2011

मुसलमानों के लिए आरक्षण

1493. श्री गोविंदराव आदिक :

श्री मोइनुल हसन :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **क्या सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मुसलमानों के लिए आरक्षण पर विचार किए जाने की संभावना है**;

(ख) **यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;

(ग) **क्या सरकार सकारात्मक कार्रवाई के लिए आन्ध्र प्रदेश के मॉडल का अनुसरण करने की इच्छुक है, जिसमें उन्होंने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को नौकरियों और शिक्षा में 4 प्रतिशत का आरक्षण दिया है; और**

(घ) **यदि हां, तो यह कब किया जाएगा** ?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (**श्री विन्सेंट एच. पाला**)

(**क**) **से** (**ग**) : राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग (एनसीआरएलएम) ने मुस्लिमों सहित अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के संबंध में दो वैकल्पिक अनुशंसाएं की हैं। आयोग ने अल्पसंख्यकों के लिए 15% आरक्षण की अनुशंसा की है, जिसमें 10% आरक्षण मुस्लिमों के लिए होगा। विकल्प के तौर पर आयोग ने अनुशंसा की है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण के कोटे में से 8.4% का सब-कोटा अल्पसंख्यकों के लिए हो, जिसमें से 6% आरक्षण मुस्लिमों के लिए निर्धारित हो। इस अनुशंसा पर वर्तमान में अंतरमंत्रालयीन परामर्शन हो रहा है।

(घ) : कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है।

*****